रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 1994/भाद्र 30, 1916
No. 393] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 1994/BHADRA 30, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1994

सं. 130/94—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 698(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1985 का 5) की अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले ऐसे सभी माल और सामग्री को, जो मैसर्स न्यूक्लीयर फ्यूल काम्प्लेक्स, हैदराबाद द्वारा विनिर्मित हैं, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[फा. सं. 354/34/94 – टी आर यू]

सुशील सोलंकी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 1994

NO. 130/94-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 698(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5-A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods and materials falling under the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), manufactured by M/s. Nuclear Fuel Complex, Hyderabad, from the whole of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Schedule.

[F. No. 354/34/94-TRU]

SUSHIL SOLANKI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994